

मध्यप्रदेश विधान सभा

ज्ञानकी रे प्रिंट प्राप्त के लिए ज्ञानकी प्रिंटर अपेक्षा इसे देख दिया गया है।
प्रिंट की विधियों में से एक-एक विधि विशेष रूप से उन्हें देखा गया है।

कैनिक कार्य सूची
कठुळ दि डोला नाम विवरी सार दि वाराणी बालां इन्हन (१)
शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2002 (श्रावण 4, 1924)

सप्तम १०-३० वर्षे दिन

1. प्रश्नोत्तर

1. प्राचीनतम्

पथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये

३. पर्याप्त वा पद्धति वा अन्य वा अन्य

श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटररयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे -

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुशीलाल, सदस्य, इयोपुर जिले के ग्राम मेखड़ाहेड़ी में आंत्रशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

(2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के अम्बाह में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हत्या किये जाने की ओर गह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) सरनेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, गवालियर शहर के उपनगर भुजर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या होने की ओर गह मंत्री

(4) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, लालसिंह, हिम्मत कोठारी, सदस्य, गवालियर जिले के ग्राम बरोठ निवासी एक परिवार द्वारा आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या किये

(5) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथे, भूपेन्द्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, गवालियर, चंबल एवं सागर संभाग के कुषकों से सरचार्ज सहित विद्युत शुल्क की वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल शहर में नकली पटेलियम पदार्थ बनाने वाले गिरोह का पर्वकाश किये जाने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के अलापुर बोध से विस्थापित कर्त्तव्यों को मआवजा न किये जाने की ओर डॉ मख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान

(8) श्री भृपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में अवैध रूप से चल रही वाहनों से दर्घटनाएँ होने की ओर गह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(९) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, धार जिले की मनावर ताहसील में नलकूप उत्खनन कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के मालथीन से खुरई जा रही निजी यात्री बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री लक्ष्मीकौत शर्मा, बाबूलाल गौर, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम गुलखेड़ी में भूमि के पद्टे वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री मुन्ना सिंह, सवस्य, पुलिस कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार जिला बोर्ड को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित हो।

4. यांचिकाओं की प्रस्तुति

4. यांत्रिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री बुजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम चौमो में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,

(2) श्री मणनलाल गोडल, सदस्य, टीकमगढ़ नगर के ईदगाह मुहल्ला की लव-कुश कालोनी में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने,

(3) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) जनपद पंचायत कोतमा से ग्राम निगवानी तक नार्वाड़ से सड़क बनाये जाने; तथा

(ख) ग्राम भुमकार में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे।

5. वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपरक्त अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशाराम, वित्त मंत्री, वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

६. शासकीय विधि विषयक कार्य इसे अवश्य करना चाहिए।

- (1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. नियम 138 के अधीन अधिकारीय लोक सभा के द्वाय पर चार्ज

लिखित

समय कि तीव्रता लाभ में ठारिका के लिये संपूर्ण व्यापक उपकरण उपलब्ध होना।

1 घन्टा प्रदेश में अधोसित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.
30 मि.

८. अशासकीय संकरण

- (1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि माझी अनुसूचित जनजाति की उप-जातियों मल्लाह, केवट, नाविक, निषाद को मध्यप्रदेश में माझी के समान अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्रदान करें।"

(2) श्री भपेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

“सदन का यह मत है कि प्रदेश में शस्त्र लायसेसधारी व्यक्ति को अपने पूर्व 50 मि. लायसेस पर अतिरिक्त शस्त्र बढ़ाने पर अपनाई जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए ।”

- 50 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि राजकोट-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन रीवा तक बढ़ाई जावे।"

मिल्डॉ.प.के.पचासी
भोपाल : २५ अगस्त २०१२ की ईमेल संखिया
दिनांक : २५ अगस्त २०१२

ମୁଦ୍ରା କରିବାର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି